

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रेस-नोट

क्रमांक : एफ.6()विधि/परीक्षा 'घ' /व0अ0 (माशि)/काउंसलिंग/2022/29

दिनांक :11/09/2023

आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक-माध्यमिक शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा-2022 **विषय-अंग्रेजी** के अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच हेतु आयोग द्वारा विचारित सूची क्रमशः दिनांक 08.09.2023 को जारी कर दी गई हैं। विचारित सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्रों की जांच काउंसलिंग के माध्यम से **राजस्थान लोक सेवा आयोग, घूघरा घाटी, अजमेर कार्यालय परिसर** में दिनांक 14.09.2023 से आयोजित की जावेगी। पात्रता जांच उपरान्त पात्र पाये गये अभ्यर्थियों का आयोग द्वारा अन्तिम परिणाम जारी किया जावेगा। काउंसलिंग कार्यक्रम, विस्तृत आवेदन पत्रों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश, काउंसलिंग पत्र व अन्य प्रपत्रादि आयोग की वेबसाईट <http://rpssc.rajasthan.gov.in> पर जारी किये जा रहे हैं, जिन्हें अभ्यर्थी संबंधित विषय की काउंसलिंग दिनांक से पूर्व आयोग की वेबसाईट से डाउनलोड कर **काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार** भरे हुए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियों मय स्वप्रमाणित दस्तावेजों की एक प्रति व मूल दस्तावेजों के साथ **निर्धारित दिनांक व समय पर अभ्यर्थी व्यक्तिशः काउंसलिंग हेतु उपस्थित होंगे।**

काउंसलिंग का कार्यक्रम विषयवार/दिनांकवार निम्नानुसार है:-

क्र. स.	पद का विषय	Shift	परिणाम (विचारित-सूची) में सफल अभ्यर्थियों के रोल नम्बर		काउंसलिंग की दिनांक	अभ्यर्थियों की संख्या	कुल अभ्यर्थियों की संख्या
1	अंग्रेजी	M	1504617	1520295	14.09.2023	75	3002(NTSP) 143 (TSP)
		E	1520343	1542460		225	
		M	1542461	1590667	15.09.2023	225	
		E	1590694	1612453		225	
		M	1612464	1642391	18.09.2023	225	
		E	1642392	1657213		225	
		M	1657225	1689515	19.09.2023	225	
		E	1689571	1743862		225	
		M	1743863	1751453	20.09.2023	225	
		E	1751474	1780951		225	
		M	1780999	1807850	21.09.2023	225	
		E	1807859	1832525		225	
		M	1832655	1872676	22.09.2023	225	
		E	1872678	1887999		225	
M	1888020	1916839	26.09.2023	145			

आयोग द्वारा आयोजित उक्त काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा पृथक से कोई ऑफलाईन पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि अभ्यर्थी आयोग द्वारा अपलोड किये गये 02 पात्रता प्रपत्रों व काउंसलिंग-पत्र के साथ अभ्यर्थियों के आवश्यक दिशा-निर्देशों को डाउनलोड कर उनका ध्यानपूर्वक अध्ययन करते हुए दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व काउंसलिंग स्थल पर उपस्थित होंगे। काउंसलिंग में अनुपस्थित रहे अभ्यर्थी अन्तिम परिणाम में विचारित नहीं किए जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(रामनिवास मेहता)
सचिव